न्यायालय जिला कलक्टर,उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस

प्रकरण संख्याः **11/2017** प्रार्थना पत्र (रसद)

सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, उदयपुर

.....प्रार्थी

बनाम

श्री जितेन्द्र साहू पुत्र श्री रामलाल साहू, 86, मयंक कॉलोनी, न्यू भोपालपुरा, उदयपुर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित एलपीजी गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर 2000 के तहत 3 घरेलु गैस सिलेण्डर 14.2 किलो को राजसात कराने बाबत्

उपस्थितः— श्री विजय सिंह राठौड़, प्रवर्तन अधिकारी पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक : 27.03.18

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रवर्तन अधिकारी, उदयपुर ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 02.08.17 को शांतिनगर ब्लॉक ए के निवासीयो द्वारा जितेन्द्र साहु पुत्र श्री रामलाल साहू निवासी 46, मयंक कॉलोनी, न्यू भुपालपुरा उदयपुर द्वारा घरेलु गैस के व्यावसायिक उपयोग की शिकायत प्राप्त हुई। उपखण्ड अधिकारी गिर्वा वास्ते जॉच गोपाल साहु पुत्र मोड़ीलाल साहु के मकान न्यू भोपालपुरा स्थित व्यावसायिक स्थित पर पहूॅचे। मौके पर एक व्यक्ति घरेलु गैस सिलेण्डर के दहन से मिठाई बनाते पाया। जिसने पुछने पर स्वयं का नाम जितेन्द्र साहु पुत्र श्री रामलाल साहु बताया गया। जो मौके पर मिठाई बनाने में घरेलु गैस सिलेण्डर का उपयोग कर विक्रय हेतु मिठाई बनाता हुआ पाया गया। मौके पर मिठाई बनाने में प्रयुक्त 3 एल.पी.जी. घरेलु गैस सिलेण्डर में से 2 सिलेण्डर एचपीसीएल व एक सिलेण्डर बीपीसीएल का पाया गया। उक्त सिलेण्डरो का व्यावसायिक उपयोग लेते हुए पाये जाने से तीनो सिलेण्डर मय 16. 800 किलो गैस को कब्जे में लिया गया। उक्त सिलेण्डरो के संबंध में कागजात मांगने पर भी प्रस्तुत नहीं किये गये। नाही काई संतोषप्रद जवाब दिया गया। अधिगृहित तीनो घरेलु गैस सिलेण्डर सुर्या गैस ऐजेन्सी के प्रतिनिधी को सिपुर्द

किये गये। जितेन्द्र साहु का उक्त कृत्य एलपीजी रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2000 के क्लॉज 3 (1) (सी) का उल्लंघन होना पाया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धा 3/7 के तहत दण्डनीय हैं। अतः तीनो घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस को राज्यसात करने की कृपा करावें साथही निस्तारण कराने का भी आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी बावजुद तामिल के अनुपस्थित रहा। तामिलन नोटिस संलग्न पत्रावली हैं। अतः विपक्षी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई।

विद्धवान पेरोकार द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया। जिसे सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पैरोकार सरकार के कथनो पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि विपक्षी के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के आधार पर विपक्षी के परिसर भवन की जॉच करने पर 3 घरेलु गैस सिलेण्डर से मिठाई विक्रय करने हेतु बनाते हुए पाया गया। मौके पर तीनो घरेलु गैस सिलेण्डरो के संबंध में कागजात मांगने पर प्रस्तुत नहीं किये गये नाही कोई संतोषप्रद जवाब दिया गया। घरेलु गैस सिलेण्डरो का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियो में करते हुए मौके पर ही पाये जाने से विपक्षी का उक्त कृत्य एलपीजी रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर 2000 के क्लॉज 3 (1) (सी) का उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धा 3/7 के तहत दण्डनीय हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्त 3 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 16.800 किलो गैस को राज्यसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

जिला रसद अधिकारी, प्रथम, उदयपुर को यह आदेशित किया जाता है कि उक्त जब्त एल.पी.जी. घरेलु गैस सिलेण्डर सुर्या गैस ऐजेन्सी के प्रतिनिधि को मौके पर सिपुर्द किया गया है जिसे प्राप्त कर तीनो घरेलु गैस सिलेण्डरो मय गैस 16.800 किलो का नियमानुसार निस्तारण किया जाकर प्राप्त राशि राजकोष में जमा करा चालान की प्रति न्यायालय हाजा को वास्ते पालनार्थ प्रेषित करावें।

निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकार, प्रथम, उदयपुर को वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर